# चोईथराम अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र के प्रबन्ध न्यासी एवं सचिव को एक वर्ष का कारावास एवं जुर्माना

इन्दौर: इन्दौर के जिला न्यायालय के मुख्य न्यायीक दण्डाधिरी कपिल मेहता ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में चोईथराम अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र के मेनेजिंग ट्रस्टी सतीश मोतियानी और सचिव डी. एल. पाटीदार को कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा-९२ के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये दोषी मानते हुए १ वर्ष का कठोर कारावास व इन दोनों आरोपीयों को रुपये-२५-२५ हजार का अर्थदंड व दण्ड न चुकाये जाने पर १माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई.

**मामला क्या है**

चोईथराम अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र की मुख्य गतिविधि अस्पताल की अर्थात चिकित्सकों द्वारा इलाज एवं नर्सिंग केयर होने के साथ साथ अस्पताल से संबंधित अन्य कई गतिविधियाँ संस्थान परिसर में अवैध रुप से संचालित की जा रही थी. कारखाना अधिनियम, १९४८के नियमानुसार इस अधिनियम का उदेष्य कर्मचारीयों को सामाजिक सुरक्षा जैसे पर्याप्त हवा,पानी,रोशनी व खानपान की व्यवस्था, महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल की व्यवस्था एवं कर्मचारीयों की सुरक्षा की संपूर्ण इत्यादी होना अनिवार्य है. इस सभी कार्याकलापों के लिये कारखाना अधिनियम के तहत लाईसेंस लिया जाना अनिवार्य है. संस्थान परिसर में इन गतिविधियों हेतु बगैर लाईसेंस के संचालित की जा रही थी.

इस संबंध में एक सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश रुघानी जो पूर्व में चोईथराम संस्थान में एक कर्मचारी थे उन्होंने अपने नैतिक दायित्वों का पालन करते हुए इस बात की शिकायत कार्यालय औघोगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर के संचालक एव उप संचालक को वर्ष २००० में की. शिकायत पर कोई कार्रवाही नहीं कीये जाने पर रुघानी ने इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय श्रम मंती को इसकी शिकायत की थी. जिसके उपरांत औघोगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अविनाश जोशी एवं सर्वेश पशीने ने अस्पताल संस्थान का दिनांक-०८. ०५.२००६ को निरिक्षण करने पर पाया कि चोईथराम अस्पताल में अवैध रुप से बिना लाईसेंस गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था. जिस पर कार्यालय द्वारा एक शो-कॉज नोटिस मेनेजिंग ट्रस्टी सतीश मोतियानी एवं सचिव डी.एल. पाटीदार को दिया. नोटिस के जवाब में दोनों ने कार्यालय को गुमराह किया.

**न्यायालय में मुकदमा प्रस्तुत**

इस संबंध में कार्यालय औघागिक स्वस्थ्य एवं सुरक्षा के द्वारा इन्दौर की जिला अदालत में इन दोनों आरोपीयों के विरुद्व कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा-६ एवं ७ सहपठित नियम ४ एवं १५ सहपठित धारा ९२ के तहत अभियोजन चलाया. न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में शिकायतकर्ता सुरेश रुघानी एवं अविनाश जोशी कारखाना निरिक्षक के साक्ष्य हुए. माननीय न्यायालय ने अजियोजन साक्षीयों की साक्ष्य से यह पाया कि आरोपी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाकर को विश्वसनीय मानते हुए इन दोनों आरोपीयों को १ वर्ष का कठोर कारावास एवं २५ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. इस संबंध में औघोगिक स्वास्थ एवं सुरक्षा की और से उपसंचालक कारखाना निरिक्षक मुकेश जैन के द्वारा इस प्रकरण में अंतिम तर्क किये गये थे. आरोपीयों की और से अधिवक्ता अमरसिंह राठौर ने पैरवी की.

सुरेश रुघानी की शिकायत के मुख्य बिन्दु जिनके आधार पर संस्थान में बगैर लाईसेंस के अवैध रुप से गतिविधियाँ संचालित की जा रही थी जिनके कारण आरोपीयों को सजा मिली.

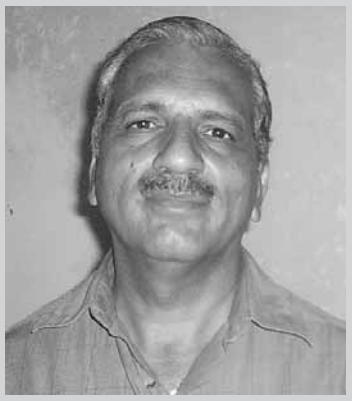



चोईथराम अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र में निम्न गतिविधियाँ संचालित होती है-

- संस्थान में इंजिनियरींग एवं मेटेनेंस विभाग है जो कि मशीनों एवं उपकरणों की देखरेख एवं रखरखाव किया जा रहा है.
- आक्सीजन सप्लाय सभी वार्डे में पाईप लाईन की सहायता से होती है.
- संस्थान में लान्ड्री का संचालन किया जा रहा था.
- संस्थान के सेन्ट्रल सप्लाय इटरलाईजेशन डिपार्टमेंट में ड्रेसिंग मेटेरियल एवं गाज पेड को इटरलाईस किया जाता है साथ ही उपकरणों को इटरलाईज किया जाता है.
- संस्थान में ब्लड बैंक भी है तथा मानव रक्त को विधि ने औषधी माना गया है अत: खाध एवं औषधी प्रशासन से औषधी निर्माण का लाईसेंस लिया जाना अनिवार्य है तथा संस्थान ने उक्त औषधी निर्माण का लाईसेंस ले रखा है.

उपरोक्त सभी गतिविधियाँ कारखाना अधिनियम, १९४८ के अनुसार निर्माण प्रक्रिया होकर शक्ति (पावर) की सहायता से एक ही परिसर में संचालित होने तथा वर्ष में किसी भी दिन १० अथवा १० से अधिक व्यक्ति कार्यरत रहने पर कारखाना अधिनियम के तहत लाईसेंस लिया जाना अनिवार्य है.

# देश के नगर निगम व नगर परिषदों पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू

**अधिसूचना जारी होने के बाद देश के समस्त नगर निगम व नगर परिषद के मस्टर कर्मचारीयों को सामाजिक सुरक्षा के कानूनों का लाभ मिलेगा**

**इन्दौर:** भारत सरकार ने हाल ही में उन सभी नगर निगम व नगर परिषद के कर्मचारीयों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत दायरे में लाने के लिये अधिसूचना जारी की है.

भारत सरकार केश्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में दिनांक-८ जनवरी २०११ को अधिसूचना जारी कर उल्लेख किया कि- 'का. आ.३० (क)- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,१९५२( १९५२ का १९)की धारा १ की उपधारा (३) के खण्ड (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार बीस या अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही निम्नलिखित संस्थओं को ऐसे स्थापनाओं के वर्ग के रुप में विनिर्दिष्ट करती है जिन पर उक्त अधिनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा यथा:-''भारत के संविधान के अनुच्छेद २४३ थ के खण्ड (१) के उपखण्ड (ख) और (ग) के अंर्तगत गठित नगर परिषद और नगर निगम''

इन्दौर संभाग मस्टर कर्मचारी यूनियन एटक के अध्यक्ष ओमप्रकाश खटके ने लगातार इस संबध में एटक के महासचिव गुरुदास दास गुप्ता सांसद एवं कामरेट सच्चिदानंद से पत्र व्यवहार कर उनके माध्यम से प्रस्ताव बनाकर सलाहकार परिषद को प्रेषित किया जा रहा था. जनवरी में यूनियन ने भविष्य निधि कार्यालय, इन्दौर पर जुलुस एवं प्रदर्शन किया था.

यूनियन के लगातार प्रयासों से भारत सरकार ने इस संबध में अधिसूचना जारी की. इस अधिसूचना जारी होने के बाद देश के समस्त नगर निगम व नगर परिषद के मस्टर कर्मचारीयों जो १५-२० वर्षो से कार्यरत थे उन्हें जीवन भर कार्य करने के बाद सामाजिक सुरक्षा के कानूनों का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता था अब उनके वेतन से १२ प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि योजना का कटोत्ता किया जाएगा और इतनी ही राशि नगर निगम को मिलानी होगी और यह सपूर्ण धनराशी भविष्य निधि कार्यालय को जमा होगी. इस राशि पर कर्मचारीयों को लोन भी दिया जाएगा तथा कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को जीवन भर पेंशन प्राप्त होगी. विकलांग या सेवानिवृती होने के बाद एवं ५० वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलेगी.

अभी तक नियमित कर्मचारीयों को प्राप्त होने वाले सामान्य भविष्य निधि के लाभ मस्टकर्मियों एवं ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत कर्मचारीयों को लाभ नहीं मिलता था. नगर निगम इन्दौर में ही चार हजार नौ सौ से अधिक मस्टरकर्मि कार्यरत है साथ ही ठेके दारों के माध्यम से भी हजारों कर्मचारी कार्यरत है जिन्हें माह जनवरी २०११ से उक्त योजना के लाभ मिलेगा.

इस अधिसूचना के जारी होने के बाद भी नगर निगम के अपर आयुक्त केदारसिंह की लापरवही की वजह जनवरी व फरवरी केकर्मचारीयों के वेतन से भविष्य निधि की धनराशी नहीं कॉटी गई. यह धनराशी को अब नगर निगम को अब अपने खाते में से अर्थात लोकधन से जमा करानी होगी.

ओमप्रकाश खटके केप्रयास से कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू

'मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग, गीली जमीन खोदकर फरहाद हो गये'' यह शेर इन्दौर संभाग मस्टर कर्मचारी यूनियन एटक के अध्यक्ष ओमप्रकाश खटके पर पूरी तरह उपयुक्त है. ओमप्रकाश खटके के निरंतर प्रयास से ही इन्दौर नगर निगम व नगर परिषदों के लाखों कर्मचारीयों को भविष्य निधि योजना का लाभ मिला. यूनियन के अध्यक्ष होने के साथ वे अधिवक्ता है और लेबर कोर्ट में वे गरीब मजदूरों के प्रकरणों की पैरवी करते है. इन्होंने हजारों मजदूरों को जिन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था तथा उन्हें बिना किसी फिस लिये उनके प्रकरणों में पैरवी की और उन्हें न्याय दिलाया. सही शब्दों में वे गरीब मजदूरों जिन्हें न्याय नहीं मिलता उनके मसीहा है.

## आर्थिक घोटालों एवं भ्रष्टाचार संबंधी जानकारी दे

सेन्सर टाइम्स को सम्पूर्ण भारत वर्ष से भ्रष्टाचार संबंधी शिकायते मय दस्तावेजी प्रमाण के साथ प्राप्त हो रही है हम अपने स्तर पर इन शिकायतों की जाँच करते है और वे शिकायतें सही पाई जाती है तो हम जनहित में आर्थिक घोटालों को समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित कर उसे सार्वजनिक कर भ्रष्टाचारीयों का पर्दाफाश करते है. पाठकों से निवेदन है किआपकी जानकारी में ऐसा कोई आर्थिक घोटाला या भ्रष्टाचार से संबंधीत कोई सूचना है तो हमें उसके दस्तावेजी प्रमाण के साथ हमें भेजे और हमारे भ्रष्टाचार मिटाने के संकल्प को मजबूती दे । हम आपको विश्वास दिलाते है कि हम आपका नाम गुप्त रखेगे ।आओं हम सब मिलकर हमारे देश को भ्रष्टाचार व भय मुक्त करने में अपना सहयोग दे क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोशिश के पेड़ों पर ही कामयाबी के पल मिलते है और यदि हम यही पल हमारे देश की उन्नती के लिये व हमारे समाज के उत्थान के लिये करेगे तो यकीन मानिये एक नि हमारा देश पुन: सोने की चिड़िया कहलायेग.

-प्रधान संपादक

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - रविकुमार पोत्दार इन्दौर ७२/७४ , सूयश विहार,भमोरी दुबे,फारचुन लैण्डमार्क के पीछे, इन्दौर से प्रकाशित एवं आर्टटेक ग्राफिक्स, 864/9, नेहरू नगर, इन्दौर म.प्र. से मुद्रीत
सम्पादक रविकुमार पोत्दार .आर.एन.आई. नं. १२७८२/२००३ e-mail- censortimes@ hotmail.com किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सिर्फ इन्दौर ही रहेगा। मोबाईल-०९९२६६-३१७०७